

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 31 जनवरी, 2025 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में बैठक का कार्यवृत्त।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ दिनांक- 21.01.2020 के द्वारा जिला पेयजल स्वच्छता मिशन का गठन किया गया था। गठित समिति की बैठक दिनांक 31 जनवरी, 2025 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत फर्म मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इण्डिया लि० एवं मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लि० तथा समस्त आई०एस०ए०/आई०ई०सी० एजेन्सीज कार्यों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय, प्रतापगढ़ में आयोजित की गयी, जिसमें निम्न अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे -

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
5	प्रभारी वन अधिकारी	सदस्य
6	अधिसासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई	सदस्य
7	जिला मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
8	जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी	सदस्य
9	जिला पंचायत राज अधिकारी	आमंत्रित सदस्य
10	श्री करमाकर, क्लस्टर हेड, मे० कलपतरु प्रोजेक्ट इण्टरनेशनल लि० (जे०एम०सी०), 06 तल, कलपतरु सेनर्जी ग्राण्ड हायात होटल के सामने सान्ताक्रूज (ईस्ट) मुम्बई।	कार्यदायी संस्था
11	श्री किशोर कुमार, उप महाप्रबन्धक, मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट-भूरथनम कन्स्ट्रक्शन (जेवी), प्लान्ट नं०- 77, जुबली इन्क्लेव, मध्यापुर, हैदराबाद।	कार्यदायी संस्था
12	जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, प्रतापगढ़	अनुश्रवण इकाई
13	श्री अरुण कुमार, उप परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट, क्लस्टर-15, प्रतापगढ़ (टी०पी०आई०ए०)।	टी०पी०आई०ए०
14	समस्त आई०ई०सी०/आई०एस०ए० एजेन्सीज	सहायक एजेन्सी
15	अधिसासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़।	सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या- 1

अधिसासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में दो फर्म क्रमशः मेसर्स कलपतरु प्रोजेक्ट इण्टरनेशनल लि० (जे०एम०सी०) एवं मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि० को पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

अ- सूचीबद्ध फर्म मेसर्स कलपतरु -

अधिसासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स कलपतरु को आवंटित 368 नग (780 राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 301 नग (668 राजस्व ग्राम) पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, शेष 67 नग पेयजल योजनाओं पर क्रमशः 13 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि अप्राप्त, 14 नग पेयजल योजनाओं पर विवाद एवं 40 नग पेयजल योजनाओं पर खारा पानी प्राप्त होने के कारण कार्य बाधित है। प्रस्तावित 423 नग नलकूप के सापेक्ष 279 नग स्थानों पर टयूबवेल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष 67 नग नलकूप जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है, उन्हें क्रमशः 33 नग 01 मार्च, 2025 तथा शेष 34 नग 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। प्रस्तावित 423 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 127 नग कार्य प्रगति पर एवं 152 नग कार्य पूर्ण है। वितरण प्रणाली प्रस्तावित 5830 किमी० के सापेक्ष 4416 किमी० बिछायी जा चुकी है। प्रस्तावित 344

शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 217 नग स्थानों पर कार्य प्रगति पर एवं 60 स्थानों पर कार्य पूर्ण है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान कुल डिस्मेंटल 1192 किमी० के सापेक्ष 1170 किमी० की मरम्मत करायी जा चुकी है एवं टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन के उपरान्त अवगत कराया गया कि 474 नग राजस्व ग्रामों में 100 प्रतिशत काटी गयी सड़क के मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा 4 नग राजस्व ग्राम, जिसमें टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन के दौरान शत-प्रतिशत काटी गयी सड़कों के मरम्मत का कार्य पूर्ण दिखाया गया है उनका पुनः सत्यापन कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिये। प्रस्तावित 180013 नग क्रियाशील गृह नल संयोजन के सापेक्ष 70319 नग क्रियाशील गृह नल संयोजन तथा 90226 नग गृह संयोजन प्रदान किया जा चुका है।

प्रस्तावित 257 नग के सापेक्ष 257 नग सोलर सामग्री की आपूर्ति की जा चुकी है किन्तु मौके पर मात्र 102 नग पेयजल योजनाओं पर सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए सोलर अधिष्ठापन की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार 166 नग के सापेक्ष 133 नग पेयजल योजनाओं के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया जा चुका है, जिसमें से 20 नग पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन का कार्य अभी तक पूर्ण हो पाया है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया जा चुका है, उनकी सूची उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी के स्तर से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। फर्म द्वारा मात्र अभी तक 20 नग पेयजल योजनाओं पर ही कार्य पूर्ण किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सूचीबद्ध फर्म मेसर्स कलपतरु के क्लस्टर हेड से कार्य पूर्ण करने की तिथि के विषय में जानकारी चाही, जिसके क्रम में अवगत कराया गया कि 31 मार्च, 2025 (समयवृद्धि उपरान्त) है।

फर्म मेसर्स कलपतरु द्वारा अपने अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु जिलाधिकारी के समक्ष आश्वासन दिया गया, जिसकी समय-सीमा निम्नवत् है -

- (i)- 67 नग नलकूप जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है, उन्हें क्रमशः 33 नग 01 मार्च, 2025 तथा शेष 34 नग 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- (ii)- समस्त निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय का कार्य 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (iii)- समस्त सोलर का कार्य जिनका अधिष्ठापन अभी तक नहीं हो पाया है, उसे 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (iv)- आवंटित पेयजल योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य 31 अगस्त, 2025 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

ब- सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक -

अधिकांसी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स पावरमेक को आवंटित 453 नग (1009 राजस्व ग्राम) योजनाओं के सापेक्ष 409 नग (937 राजस्व ग्राम) पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है, शेष 44 नग पेयजल योजनाओं पर क्रमशः 08 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि अप्राप्त, 24 नग पेयजल योजनाओं पर विवाद एवं 12 नग पेयजल योजनाओं पर खारा पानी प्राप्त होने के कारण कार्य बाधित है। प्रस्तावित 562 नग नलकूप के सापेक्ष 494 नग स्थानों पर ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 22 नग नलकूप जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे 01 मार्च, 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। प्रस्तावित 562 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 156 नग कार्य प्रगति पर एवं 334 नग कार्य पूर्ण है। वितरण प्रणाली प्रस्तावित 8552 किमी० के सापेक्ष 8453 किमी० बिछायी जा चुकी है। प्रस्तावित 452 शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 302 नग स्थानों पर कार्य प्रगति पर एवं 106 स्थानों पर कार्य पूर्ण है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान कुल डिस्मेंटल 4104 किमी० के सापेक्ष 4075 किमी० की मरम्मत करायी जा चुकी है एवं टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन के उपरान्त अवगत कराया गया कि 508 नग राजस्व ग्रामों में 100 प्रतिशत काटी गयी सड़क के मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा 4 नग राजस्व ग्राम, जिसमें टी०पी०आई० द्वारा सत्यापन के दौरान शत-प्रतिशत काटी गयी सड़कों के मरम्मत का कार्य पूर्ण दिखाया गया है उनका पुनः सत्यापन कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिये। प्रस्तावित

220245 नग क्रियाशील गृह नल संयोजन के सापेक्ष 112114 नग क्रियाशील गृह नल संयोजन तथा 90434 नग गृह संयोजन प्रदान किया जा चुका है।

प्रस्तावित 525 नग के सापेक्ष 495 नग सोलर सामग्री की आपूर्ति की जा चुकी है किन्तु मौके पर मात्र 181 नग पेयजल योजनाओं पर सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण है। इसी प्रकार 37 नग के सापेक्ष 34 नग पेयजल योजनाओं के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया जा चुका है, जिसमें से विद्युत संयोजन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं पर विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया जा चुका है, उनकी सूची उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी के स्तर से अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। फर्म द्वारा मात्र अभी तक 16 नग पेयजल योजनाओं पर ही कार्य पूर्ण किया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक के उप महाप्रबन्धक से कार्य पूर्ण करने की तिथि के विषय में जानकारी चाही, जिसके क्रम में अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि 31 मार्च, 2025 (समयवृद्धि उपरान्त) है।

फर्म मेसर्स पावरमेक द्वारा अपने अधूरे कार्य को पूरा करने हेतु जिलाधिकारी के सम्मक्ष आश्वासन दिया गया, जिसकी समय-सीमा निम्नवत् है -

- (i)- 22 नग नलकूप जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है, उन्हें 01 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- (ii)- समस्त निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय का कार्य 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (iii)- समस्त सोलर का कार्य जिनका अधिष्ठापन अभी तक नहीं हो पाया है, उसे 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- (iv)- आवंटित पेयजल योजनाओं के समस्त निर्माण कार्य 31 अगस्त, 2025 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने वितरण प्रणाली विछाये जाने के उपरान्त काटी गयी सड़कों को तत्काल गुणवत्तापूर्वक मरम्मत/पुनर्स्थापन कराने के निर्देश दोनों सूचीबद्ध फर्मों को दिये।

(कार्यवाही- मुख्य विकास अधिकारी/अधिसासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इण्डिया लि० / उप महाप्रबन्धक, मेसर्स पावरमेक प्रोजेक्ट लि०)

बिन्दु संख्या- 2

सूचीबद्ध फर्म मेसर्स कलपतरु के क्लस्टर हेड द्वारा अवगत कराया गया कि 13 नग स्थानों पर भूमि अप्राप्त, 14 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद एवं 40 नग पेयजल योजनाओं पर खारा पानी प्राप्त होने के कारण कार्य बाधित है एवं सूचीबद्ध फर्म मेसर्स पावरमेक के उप महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि 08 नग स्थानों पर भूमि अप्राप्त, 24 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि विवाद एवं 12 नग पेयजल योजनाओं पर खारा पानी प्राप्त होने के कारण कार्य बाधित है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये-

- (i)- ऐसी योजना जहाँ अभी तक भूमि प्राप्त नहीं हुयी है, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से 03 दिवस के अन्दर भूमि की उपलब्धता या अनुपलब्धता के बारे में लिखित रूप से अवगत करायें एवं इसके उपरान्त जिन योजनाओं पर भूमि नहीं उपलब्ध नहीं हो पायेगी, उन स्थानों पर भूमि खरीदने हेतु जिलाधिकारी की तरफ से पत्र मुख्यालय प्रेषित किया जायेगा।
- (ii)- ऐसी योजना जहाँ भूमि उपलब्ध है किन्तु किसी विवाद के कारण कार्य या तो शुरू नहीं हो पाया है या कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय विवाद के कारण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी -
 - यदि प्रकरण मा० न्यायालय में नहीं है तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी से 03 दिवस दिनों के अन्दर अतिक्रमण हटवाते हुए कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - यदि प्रकरण मा० न्यायालय में है एवं उस पर निषेधाज्ञा है तो उसके लिए 03 दिवस के अन्दर अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से शीघ्र निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

- यदि प्रकरण मा० जनपद न्यायालय में लम्बित है तो 03 दिवस के अन्दर पूरा विवरण लीगल सेल की बैठक में रखने हेतु जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (iii)– ऐसी योजना जहाँ बोरिंग के दौरान खारा पानी प्राप्त हुआ है, उसकी कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही– उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी/
डी०सी०, डी०पी०एम०यू०/अधिशाली अभियन्ता (वि/या०), उ०प्र० जल निगम, प्रयागराज)

बिन्दु संख्या- 3

अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा जनपद प्रतापगढ़ हेतु 07 आई०एस०ए० एजेन्सीज क्रमशः 1-कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ, 2-प्रीती महिला एवं ग्राम विकास संस्थान, बस्ती, 3-प्रदूषण नियंत्रण ऊर्जा विकास समिति, प्रयागराज, 4-ग्रामीण विकास शोध संस्थान, प्रयागराज, 5-भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान, प्रयागराज, 6-सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा समिति, सुल्तानपुर, 7-डा० भीमरा० अम्बेडकर शिक्षण संस्थान, अम्बेडकर नगर को प्रचार-प्रसार हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

आई०एस०ए० एजेन्सीज कृषि एवं शैक्षिक प्रबन्ध संस्थान, प्रीती महिला एवं ग्राम विकास संस्थान, प्रदूषण नियंत्रण ऊर्जा विकास समिति एवं ग्रामीण विकास शोध संस्थान, भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा प्रथम फेज के कराये गये कार्यों का बीजक लगभग 01 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया गया था। जिसका सत्यापन डी०पी०एम०यू०, जल निगम के विभागीय अधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा कर लिया गया है किन्तु आज तक उक्त कराये गये कार्यों का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान न होने के कारण आगे जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को आगामी सप्ताह में अपने स्तर से आई०एस०ए० एजेन्सीज की भुगतान के सम्बन्ध में बैठक आहूत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी/
अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम/डी०सी०, डी०पी०एम०यू०)

अन्य बिन्दु-

- जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई के टीम को प्रतिदिन 4 पेयजल योजनाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या अधिशाली अभियन्ता, जल निगम एवं सम्बन्धित फर्म को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– डी०सी०, डी०पी०एम०यू०)

अन्त में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न की गयी।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/
डी०डब्ल्यू०एस०एम०,
प्रतापगढ़।

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रतापगढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

पत्रांक : 318 / W-49 / 90

दिनांक : 01-02-2025

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।

2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (का०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
6. जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रतापगढ़।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, प्रतापगढ़।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़।
11. जिला कृषि अधिकारी, प्रतापगढ़।
12. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, प्रतापगढ़।
13. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई।
14. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, प्रतापगढ़।
15. क्लरटर हेड, मे० कलपतरु प्रोजेक्ट इण्टरनेशनल लि० (जे०एम०सी०), ०६ तल, कलपतरु सेनजी ग्राण्ड हायात होटल के सामने सान्ताक्रूज (ईस्ट) मुम्बई।
16. उप महाप्रबन्धक, मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट-भूरधनम कन्स्ट्रक्शन (जेवी), प्लान्ट नं०- 77, जुबली इन्क्लेव, मध्यापुर, हैदराबाद।
17. टीम लीडर, मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० (टी०पी०आई०)।
18. समस्त आई०एस०ए० एजेन्सीज/आई०ई०सी० एजेन्सीज, जनपद- प्रतापगढ़।


 जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
 प्रतापगढ़।